न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम द्वारा जमानत आवेदन पत्र क्रमांक 337/2022 अश्वन कुमार भास्कर वि0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.10.2022 की सत्यप्रति।

29.10.2022

आवेदक/अभियुक्त अश्वन कुमार भास्कर द्वारा श्री बी0एन0शिवोपासक, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री संतोष देवांगन लोक अभियोजक।

पुकार कराई गई। थाना तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम से अपराध क्र0 27/2022 अन्तर्गत धारा 4, 6 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 10, 11 पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम शासन विरूद्ध मो. सफर खान वगै0 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त तथा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कवर्धा, जिला कबीरधाम से उक्त अपराध क्र0 27/2022 का रिमाण्ड प्रपत्र प्राप्त।

लम्बित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 4, 6 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 10, 11 पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम शासन विरूद्ध मो. सफर खान वगै0 शासन विरूद्ध मो. सफर खान वगै0 की केस डायरी तथा संबंधित रिमाण्ड प्रपत्र का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त का कहना है कि नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में ना तो लम्बित है और ना ही निराकृत किया गया है। आवेदन पत्र के समर्थन में शेख अहमद का शपथपत्र पेश किया है।

आवेदक/अभियुक्त का कहना है कि निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने प्रश्नाधीन अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अभिरक्षा में रहने से परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

अभियोजन ने आपत्ति होना व्यक्त किया।

केस डायरी के अनुसार दिनांक 29.09.2022 को ग्राम टुरजनपुर बाजार के पास ट्रक क्रमांक यू.पी. 78/बी.टी./9215 में 26 नग भैंसा–भैंसी को ठूस–ठूसकर भरकर अज्ञात ट्रक चालाक एवं सफर खान कत्ल खाना मवई (मध्यप्रदेश) की ओर ले जा रहे थे। गाड़ी खराब हो जाने के कारण नहीं ले जा पाये। तरेगांव जंगल में अभियुक्त सफर खान के कहने पर ट्रक से उतारकर चारा चराने के लिए मजदूरी पर लोमेश बैगा और जीराखन बैगा जंगल की ओर ले गये थे। ग्राम वासियों के शिकायत पर पुलिस ने तरेगांव जंगल पहुंचकर पंचनामा तैयार किया था और घटना स्थल से उक्त ट्रक क्रमांक यू.पी. 78/बी. टी./9215 को तथा लोमेश बैगा से 12 नग भैंसी किमत 80,000/–रूपये तथा जीराखन बैगा से 14 नग भैंसा किमत 1,20,000/–रूपये जप्त किया है। अभियुक्त दिनांक 12.10.2022 से अभिरक्षा में निरूद्ध है। प्रकरण के निराकरण में समय लगना संभावित है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि आवेदक/अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

कवर्धा, जिला कबीरधाम की संतुष्टि योग्य 20,000–20,000/–(बीस हजार–बीस हजार) रूपये की दो सक्षम पृथक–पृथक जमानत एवं उतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका नियमित उपस्थिति के शर्त के साथ प्रस्तुत करे तो आवेदक/अभियुक्त अश्वन कुमार भास्कर आत्मज जुठेल भास्कर, आयु करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम डुमरहा, चौकी चिल्फी, थाना लोरमी, जिला मुंगेली (छ0ग0) को जमानत पर रिहा किया जाये।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी एवं रिमाण्ड प्रपत्र वापस किया जाये।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

NITA YADAV Digitally signed by NITA YADAV Date: 2022.10.29 15:29:01 +0530

(श्रीमती नीता यादव)
सत्र न्यायाधीश,
जिला कबीरधाम.